सं.804/84/2010-बीसी-III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 सितंबर, 2011

<u>एडवाईजरी</u>

जबकि कई टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले विभिन्न क्विज़-आधारित गेम शो के संबंध में मंत्रालय में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह बताया गया है कि इन गेम शो को इस तरह से तैयार किया गया है कि सीधे-साधे दर्शकों को धोखा दिया जाए और उन्हें इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लुभाया जाए । शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह की क्विज़ में भाग लेने के लिए कॉल शुल्क और एसएमएस शुल्क काफी अधिक हैं। शिकायतकर्ताओं ने आगे उल्लेख किया है कि कई बार उनके टेलीफोन कॉल को बहुत लंबी अवधि के लिए रोक दिया जाता है ताकि उन पर पर्याप्त कॉल शुल्क लगाया जा सके।

जबकि कुछ चैनल, जिनसे मंत्रालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि ये कार्यक्रम किसी तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित किए गए हैं और चैनल केवल कार्यक्रम के संचालन के लिए इन तीसरे पक्षों को अपना प्रसारण समय बेचते हैं। चैनलों ने कहा है कि कार्यक्रम के निर्माण, प्रारूप या प्रतिभागियों से प्राप्त किसी भी कथित कॉल पर उनका किसी भी प्रकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। चैनलों ने कहा है कि कार्यक्रम का मालिक होने के नाते कार्यक्रम से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए तीसरा पक्ष जिम्मेदार है ।

जबकि सभी टीवी चैनल जिन्हें भारत में अप-लिंकिंग और डाउन-लिंकिंग की अनुमति दी गई है, वे अप-लिंकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देश के अनुसार अप-लिंकिंग और डाउन-लिंकिंग की अनुमति के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए चैनल जिम्मेदार है। इसलिए, कोई भी टीवी चैनल कार्यक्रमों और विज्ञापनों की प्रकृति संबंधी अपनी जिम्मेदारी ऐसे कार्यक्रमों और विज्ञापनों के किसी भी निर्माता पर नहीं डाल सकता है।

4. जबकि किसी क्विज आधारित कार्यक्रम की सामग्री इस प्रकार प्रसारित की जाती है कि दर्शकों को उसमें भाग लेने के लिए गुमराह किया जा सके और धोखा दिया जा सके और उन्हें भारी कॉल शुल्क देना पड़े, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन नियम, 1984 में निर्धारित

कार्यक्रम संहिता के नियम 6 (1) (क) में निर्धारित शोभनीयता और शालीनता को ठेस पहुंचाएगा। इसके अलावा, यदि इस कार्यक्रम का कोई भी विज्ञापन, कार्यक्रमों में भाग लेने के नियमों और शर्तों पर पारदर्शिता या जानकारी के अभाव के कारण दर्शकों को गुमराह करता है और इस तरह मौजूदा नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह समान रूप से उक्त नियमों में निहित विज्ञापन संहिता के नियम 7(1) का उल्लंघन करेगा।

अब, इसलिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, स्वंय के द्वारा जारी अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टीवी चैनलों को अपलिंक / डाउनलिंक करने के लिए चैनल को दी गई अनुमति की शर्तों और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, की धारा 20 के तहत, ऐसे क्विज़-आधारित गेम शो के आयोजन और संचालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है:

1. कॉल दरों या एसएमएस शुल्कों से संबंधित पूरी जानकारी का खुलासा करना, जो कार्यक्रम में लगातार भाग लेने के लिए स्क्रॉल या डिस्प्ले के माध्यम से लागू होगी, जिस भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है।

2. प्रतिक्रिया प्रणाली इस प्रकार तैयार की जाए कि कॉल करने वालों को अनावश्यक रूप से होल्ड पर न डाला जाए।

3. एक बार विजेता का निर्णय हो जाने के बाद, विवरण तुरंत घोषित किया जाना चाहिए और आगे कोई कॉल होल्ड पर रखी जानी चाहिए या एसएमएस की मांग नहीं करनी चाहिए ।

4. ऐसे गेम के संचालन में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना ताकि दर्शक ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते समय खुद को ठगा हुआ महसूस न करें ।

हस्ता./-

[सुप्रिया साहू]
निदेशक (प्रसारण सामग्री)
दूरभाष: 23389202

सेवा में,

सभी टीवी चैनल

प्रतिलिपि:

1. श्री उदय शंकर, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049

2. श्री केवीएल नारायण राव, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एमई-5, शाह विकास अपार्टमेंट, 68, पटपड़गंज, दिल्ली-110092